सं.वी. 12012/4/2003-पीएमएस (डीई)
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली
4 जनवरी 2006

सेवा में

सचिव
भारतीय दंत चिकित्सा परिषद
कोटला रोड,
नई दिल्ली- 110002

विषयः भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (नए दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए नए या उच्च पाठ्यक्रमों की शुरुआत एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला क्षमता को बढ़ाना) नियम, 2006 के संबंध में ।

महोदय,

मुझे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (नए दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए नए या उच्च पाठ्यक्रमों की शुरुआत एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला क्षमता को बढ़ाना) नियम, 2006 प्रेषित करने का निदेश हुआ है। राजपत्र में नियमों को अधिसूचित किए जाने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया जाता है। राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां सूचना और रिकॉर्ड के लिए मंत्रालय को भेजी जा सकती हैं।

चालू वर्ष के दौरान लंबित और प्राप्त होने वाले आवेदनों के संदर्भ में नियमों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं -

(क) जैसाकि नए नियम में मौजूदा 40, 60 और 100 के स्लैब की जगह सिर्फ 50 और 10 छात्रों के दाखिले की क्षमता वाले स्लैब को रखा गया है, आवेदकों को संशोधित नियमों के संदर्भ में अपनी वांछित प्रवेश क्षमता बताने का विकल्प दिया जा सकता है। उन्हें यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अनुमति के लिए योग्य बनने के लिए उन्हें इन नियमों में निर्धारित संकाय मानदंडों को पूरा करना होगा, अन्य संरचनात्मक सुविधाओं के लिए बताई गई जरूरतें अनुमति के नवीकरण से पहले पूरी की जा सकती हैं। इस संबंध में उनसे वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) लिया जा सकता है और जिन आवेदनों में विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है उन्हें आवेदकों को वापस किया जा सकता है।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि अकादमिक सत्र 2006-07 में दाखिले की अनुमति हेतु विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र, को प्राप्त करने की अंतिम तारीख, को बढ़ाकर 31 जनवरी 2006 किया जाएगा। परिषद मास मीडिया के माध्यम से निर्णय का प्रचार कर सकती है जिसमें नए नियमों की मुख्य बातें भी प्रकाशित की जा सकती हैं।

(ग) वार्षिक नवीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे कॉलेजों से दाखिला क्षमता में बढ़ोतरी के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और उसे फीस के साथ लौटाया जा सकता है। उन्हें नवीकरण की प्रक्रिया के पूरे होने और कॉलेज के छात्रों के संदर्भ में मान्यता मिल जाने के बाद आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

परिषद के शासी निकाय की सिफारिशों, जो कि परिषद के दिनांक 21.12.2005 के पत्र सं. डीई-22-2005/10216 में दी गईं हैं, पर विचार किया गया है लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई है।

भवदीय,

हस्ता./-
(ए.के. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार